न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 12.08.2025

अपील संख्या 2025 / 172

उनवान

1. मुरली मनोहर पुत्र आशाराम, जाति लोधा
2. रामचरण पुत्र आशाराम, जाति लोधा
   निवासीगण बुधवाडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
3. बद्रीलाल पुत्र भैरूलाल, जाति कलाल, निवासी ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
4. बापूलाल वल्द देवीलाल, जाति कलाल, निवादी ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0 मृतक कायमं मुकामान :–
   4/1. हरिराम पुत्र बापूलाल
   4/2. भूलीबाई विधवा पत्नी बापूलाल
   4/3. कौशल्या बाई पुत्री बापूलाल पत्नी हजारीलाल, जाति कलाल, निवासी सरेडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
   4/4. संतोष बाई पुत्री बापूलाल पत्नी जगदीश, जाति कलाल, निवासी भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज0
5. खेमचन्द पुत्र किशना, जाति कलाल, निवासी ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
6. ओम प्रकाश पुत्र किशना, जाति कलाल, निवासी ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
7. हेमराज पुत्र किशना, जाति कलाल, निवासी ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
8. गंगाराम पुत्र बुद्धा जी, जाति लोधा, निवासी बुधवाडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
9. कनीराम पुत्र बीरमा, जाति लोधा, निवासी बुधवाडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
10. सुमित्रा पुत्री आशाराम, जाति लोधा, निवासी बुधवाडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
11. कमली विधवा पत्नी आशाराम, जाति लोधा, निवासी बुधवाडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
12. केसरीलाल पुत्र परथा, जाति लोधा, निवासी बुधवाडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
13. बीरम पुत्र गोमदा, जाति लोधा, निवासी ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0 मृतक जरिये कायम मुकामान :–
    13/1. कंचन बाई विधवा पत्नी बीरम
    13/2. विनोद कुमार पुत्र बीरम
    13/3. द्रोपदी पुत्री बीरम
    13/4. मांगीबाई पुत्री बीरम
    जतियान लोधा, निवासीगण ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना, जिला

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

झालावाड राज0

14. गिरजेश कुमारी पत्नी श्री किशन, जाति सुनार, निवासी मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. दौलतराम पुत्र नारायण, जाति लोधा
2. मनोहरलाल पुत्र नारायण,जाति लोधा
   निवासीगण ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
4. सी.बी.आई. बैंक शाखा मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 13.02.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 66/दावा/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रीछडी, पटवार हल्का ठीकरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज. के माल की नई खेवट खतौनी संख्या 276 की पुरानी 251 की खसरा नं. 668 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 692 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 694 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 726 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल 4 किता कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2020 से वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की प्राथमिक डिक्री व निर्णय पत्रावली संग्रह सार एवं विधि के प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर उक्त प्राथमिक डिक्री व निर्णय गलततौर पर पारित किया है, जो कानूनन निरस्त होने योग्य है। ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड में 4 किता की 6 बीघा 11 बिस्वा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजी स्थित है। रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 (वादीगण) ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दावा प्रस्तुत किया था, जिसमें अपीलांट की ओर से पैरवी करने हेतु एडवोकेट नियुक्त किये थे, परन्तु उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स की ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया, लिहाजा दिनांक 08.02.2018 को अपीलांट्स प्रतिवादीगण का जवाबदावा अधीनस्थ न्यायालय ने बन्द कर दिया और रेस्पोडेंट वादीगण के शपथ पत्र के आधार पर उक्त प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया है, जो कानूनन हर तरह से निरस्त होने योग्य है। वास्तविकता इस प्रकार से है कि लक्ष्मीनारायण पुत्र अमरा एवं चन्दीबाई बैवा अमरा, जाति कलाल, निवासी रीछडी से उनका 2/15 हिस्सा 17,800/— रूपये में अपीलांट्स के पिता आशाराम के द्वारा रजिस्टर्ड क्रय किया था और वर्तमान में उक्त भूमि खसरा नं. 726 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि ग्राम रीछडी से एक किलोमीटर दूरी पर है। पीली मिट्‌टी के खेत की है। जिसका कि वर्णन रजिस्ट्री दिनांक 05.06.1991 में हवाला दिया हुआ है। इस प्रकार से अपीलांट्स के पिता के जीवनकाल में उनके पिता आशाराम जी एवं उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट्स उपरोक्त आराजी को निरन्तर एवं निर्विरोध रूप से काबिज काश्त ओपनहैण्ड एवं हॉस्टाईल पजेशन चला आ रहा है और वर्तमान में भी है, जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट्स को पूर्व से ही है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर उक्त प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया है, जो कानूनन हर तरह से निरस्त होने योग्य है। विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि एडवोकेट की गलती का खामियाजा पक्षकार को नहीं भुगतना चाहिए, उक्त कानूनी बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर अपने अधिकारों से परे जाकर उक्त निर्णय किया है, जो हर तहर से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय को निरस्त फरमाते हुए उक्त प्रकरण को जवाब एवं साक्ष्य हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.01.2025 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि ग्राम रींछडी, तहसील मनोहरथाना में 4 किता की

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1.0603 आराजी स्थित है। अपीलांट के द्वारा अपने मुकदमे की पैरवी करने हेतु एडवोकेट नियुक्त किया गया था परन्तु उन्होंने अपीलांट्स की ओर से कोई जवाबदावा नहीं दिया इस कारण से अपीलांट्स प्रतिवादी का जवाबदावा दिनांक 08.02.2018 को बन्द कर दिया गया और रेस्पोडेंट्स प्रार्थीगण के शपथ पत्र के आधार पर प्राथमिक डिक्री व निर्णय जारी कर दिया जो कानूनन निरस्तनीय है। वास्तविकता इस प्रकार से है कि लक्ष्मीनारायण पुत्र अमरा एवं चंदीबाई बेवा अमरा, जाति कलाल, निवासी रीछडी से 2/15 हिस्सा 17,800/– रूपये में अपीलांट्स के पिता आशाराम ने रजिस्टर्ड बेचाननामा से खरीद किया था और वर्तमान में उक्त भूमि खसरा नं. 726 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा आराजी स्थित है। यह भूमि ग्राम रीछडी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है जो पीली मिट्टी खेत के नाम से मशहूर है। इसका हवाला भी रजिस्ट्री दिनांक 05.06.1991 पर अंकित किया हुआ है। उक्त आराजी का बेचान हो जाने के बाद से अपीलांट्स के पिता आशाराम का एवं उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांट्स का नियमित एवं निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। जिसकी सम्पूर्ण जानकारी रेस्पोडेंटगण/प्रार्थीगण को है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स के विरूद्ध प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित किया है जो कानूनन हर तरह से निरस्त होने योग्य है। विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धात है कि एडवोकेट की गलती का खामियाजा पक्षकार को नहीं भुगतना चाहिए। अपीलांट्स ग्रामीण परिवेश के गरीब एवं काश्तकार है जिन्हें उक्त तथ्यों की जानकारी नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त दस्तावेज को प्रदर्श नहीं किया गया तब वह साक्ष्य में नहीं पढ़े जा सकते। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण को अपीलांट्स के जवाब एवं साक्ष्य हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमायी जावे ताकि अपीलांट्स अपने विधिक अधिकारों की रक्षा कर सके। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 2017 पेज 185, आर.आर.डी. 2017 पेज 602, आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1206, आर.बी.जे. 2022 पेज 465 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस जारी कर पक्षकारान को पर्याप्त अवसर दिया है। जवाबदावा 2018 में बन्द हुआ और जनवरी 2025 में वकील से मिलना बताते हैं। दिनांक 19.01.2025 को जानकारी होना बताया उसके बाद भी 90 दिन बाद अपील पेश की है जो मियाद बाहर है। जबकि अपीलांट को एक एक दिन के डिले का उचित कारण बताना चाहिए जिसका की अपील में अभाव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है। वर्तमान जमाबंदी को प्रदर्श करने की आवश्यकता नहीं है। अतः

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 188, आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 548, की नजीर उद्धरत की।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि वाके ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 276 पुरानी 254 की कुल 4 किता की 6.11 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामिल खाते दर्ज है जिसमें वादी नम्बर 1 का 2/15 एवं वादी नं. 2 का 1/15 हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में रहने से वादीगण अपने अपने हिस्से की आराजी को उन्नतशील बनाने एवं सही रूप से देख रेख नहीं कर पाते है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण के हिस्सेनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन किया जाकर मौके पर नापकर वादीगण को कब्जा भूमि संभलाया जावे एवं राजस्व रेकार्ड में भी अमल दरामद दर्ज की जावे।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.03.2020 से वादी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी में वादी नं. 1 का 2/15 एवं वादी नं. 2 का 1/15 भाग आरजी पृथक खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार मनोहरथाना राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने का निर्णय पारित किया गया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण के द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2068–2071 ग्राम रींछडी, तहसील मनोहरथाना की खाता संख्या नयी 276 पुरानी 251 की कुल 4 किता की 6.11 बीघा आराजी में वादी रेस्पोडेंट कम 1 दौलतराम पुत्र नारायण का 2/15 हिस्सा एवं वादी रेस्पोडेंट कम 2 मनोहरलाल पुत्र नारायण का 1/15 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2012 में दावा दर्ज होने के पश्चात पत्रावली दिनांक 25.10.2016 से दिनांक 08.02.2018 तक प्रतिवादीगण के जवाब में नियत रही, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा जवाब

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रस्तुत नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.02.2018 को प्रतिवादीगण का जवाब बन्द करने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पर्याप्त अवसर प्राप्त होने के बाद भी प्रतिवादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाबंदी सम्वत 2068–2071 में दर्ज वादीगण के हिस्से अनुसार ही निर्णय पारित करते हुए प्राथमिक डिकी जारी की है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 03.03.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत वर्तमान अपील में प्रतिवादीगण अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि लक्ष्मीनारायण पुत्र अमरा एवं चन्दीबाई बेवा अमरा, जाति कलाल, निवासी ग्राम रीछडी से उनका 2/15 हिस्सा 17800/– रूपये में अपीलांट के पिता आशाराम के द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय किया था और वर्तमान में उक्त भूमि खसरा नं. 726 की 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि है। पीली मिट्टी के खेत की है। जिसका वर्णन रजिस्ट्री दिनांक 05.06.1991 में दिया हुआ है। अपीलांट द्वारा अपने इस कथन को साबित करने हेतु अपील के साथ रजिस्ट्री दिनांक 05.06.1991 की फोटो प्रति पेश की है, जो रजिस्ट्री की प्रमाणित नकल नहीं होने के कारण विधिक रूप से अपील के निस्तारण में पठनीय नहीं है। प्रस्तुत रजिस्ट्री की इस फोटो प्रति में लक्ष्मीनारायण पुत्र व चन्दीबाई बेवा अमरा द्वारा ग्राम रींछडी की जमाबंदी संवत 2044–2046 की नयी खतौनी संख्या 38 में अंकित 2/15 भाग 17800/– रूपये में आसाराम पुत्र पन्ना लोधा, बुधवाडा को विकय करना प्रतीत होता है, परन्तु विकय की गई आराजी व वर्तमान अपीलाधीन निर्णय की विवादित आराजी खसरा नं. 726 की 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि है, इसे साबित करने हेतु भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में पुरानी जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल आदि पेश नहीं किये हैं। अपीलांट अपील में अंकित अपने कथन को दस्तावेजों के आधार पर साबित करने में असफल रहे हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी जमाबंदी संवत 2068–2071 में दर्ज वादीगण के हिस्से अनुरूप है। अतः हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनायां गया।

13/02/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
★ कोटा ★

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. मुरली मनोहर पुत्र आशाराम, जाति लोधा
2. रामचरण पुत्र आशाराम, जाति लोधा
   निवासीगण बुधवाडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
3. बद्रीलाल पुत्र भैरूलाल, जाति कलाल, निवासी ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
4. बापूलाल वल्द देवीलाल, जाति कलाल, निवादी ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
   मृतक कायम मुकामान :–
   4/1. हरिराम पुत्र बापूलाल
   4/2. भूलीबाई विधवा पत्नी बापूलाल
   4/3. कौशल्या बाई पुत्री बापूलाल पत्नी हजारीलाल, जाति कलाल, निवासी सरेडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
   4/4. संतोष बाई पुत्री बापूलाल पत्नी जगदीश, जाति कलाल, निवासी भालता, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज0
5. खेमचन्द पुत्र किशना, जाति कलाल, निवासी ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
6. ओम प्रकाश पुत्र किशना, जाति कलाल, निवासी ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
7. हेमराज पुत्र किशना, जाति कलाल, निवासी ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
8. गंगाराम पुत्र बुद्धा जी, जाति लोधा, निवासी बुधवाडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
9. कनीराम पुत्र बीरमा, जाति लोधा, निवासी बुधवाडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
10. सुमित्रा पुत्री आशाराम, जाति लोधा, निवासी बुधवाडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
11. कमली विधवा पत्नी आशाराम, जाति लोधा, निवासी बुधवाडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
12. केसरीलाल पुत्र परथा, जाति लोधा, निवासी बुधवाडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0

बनाम

1. दौलतराम पुत्र नारायण, जाति लोधा
2. मनोहरलाल पुत्र नारायण,जाति लोधा
   निवासीगण ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0
4. सी.बी.आई. बैंक शाखा मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0

.....रेस्पोडेंट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

13. बीरम पुत्र गोमदा, जाति लोधा, निवासी ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0 मृतक जरिये कायम मुकामान :–

13/1. कंचन बाई विधवा पत्नी बीरम

13/2. विनोद कुमार पुत्र बीरम

13/3. द्रोपदी पुत्री बीरम

13/4. मांगीबाई पुत्री बीरम जतियान लोधा, निवासीगण ग्राम रीछडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0

14. गिरजेश कुमारी पत्नी श्री किशन, जाति सुनार, निवासी मनोहरथाना, जिला झालावाड राज0

......अपीलांट

अपील नं. **2025/172** व नाराजगी डिकी अदालत–**<u>उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना</u>**
मु.द.नं **66/दावा/2012** निर्णय एवं डिकी दिनांक – **03.03.2020**

<u>दावा बाबत</u>

माह अपील व तारीख **20** माह **01** सन् **2026**

हाजरी **श्री अरूण कुमार जैन** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट, **श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट की ओर से,

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.03.2020 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **13** माह **02** सन् **2026** को जारी किया गया।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा